(3)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
34/2019/प्रा.पत्र/2019	20.05.2019	20.09.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1– श्री सत्यनारायण गर्ग पुत्र मदन लाल गर्ग एफ.बी.ओ. मैसर्स सुगन चन्द मदन लाल पंसारी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 ममता सर्किल के पास आनन्द चौक देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स सुगन चन्द मदन लाल पंसारी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

3–श्री अर्पित कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग प्रोपराइटर मैसर्स सत्यनारायण अर्पित कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 ममता सर्किल के पास आनन्द चौक देवली जिला टोंक

4– मैसर्स सत्यनारायण अर्पित कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0

5–श्री हरीश गुप्ता पुत्र कैलाश चन्द्र आठोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स सी– 56 लाल कोठी बापू नगर जयपुर

6–श्री कैलाश चन्द्र आठोलिया पुत्र घासी लाल पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स सी– 56 लाल कोठी बापू नगर जयपुर

7– मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स सी– 56 लाल कोठी बापू नगर जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक **20.09.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.12.2018 को समय 3.28 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सुगन चन्द मदन लाल पंसारी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री सत्यनारायण गर्ग पुत्र मदन लाल गर्ग एफ.बी.ओ. मैसर्स सुगन चन्द मदन लाल पंसारी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 ममता सर्किल के पास आनन्द चौक देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** जिसके बैच नं. 10 जे व पैकिंग दिनांक 01.12.2018 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण गर्ग को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता सत्यनारायण गर्ग एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(66)

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500–500 ग्राम के 28 पैकट **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** रखे हुये मे से कुल 4 नग 500–500 ग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण गर्ग को रू0 480/–अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग को चार भाग कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2076 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2076 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सत्यनारायण गर्ग के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री सत्यनारायण गर्ग ने मौके पर **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** बतोर वारन्टी मैसर्स सत्यनारायण अर्पित कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0 का बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 745 दिनांक 24.12.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स सत्यनारायण अर्पित कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0 ने मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स जीए–5 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर का बिल कमांक 3462 दिनांक 11.12.2018की छायाप्रति प्रति पेश की

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./19/349 दिनांक 06.02.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2396/एक्ट/2018/49 दिनांक 09.01.2019 अनुसार सत्यनारायण गर्ग से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

966

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **अजवाइन पावडर जी. आर. ब्राण्ड (Ajwain Powder Bishop G R Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री सत्यनारायण गर्ग पुत्र मदन लाल गर्ग एफ.बी.ओ. मैसर्स सुगन चन्द मदन लाल पंसारी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 ममता सर्किल के पास आनन्द चौक देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री अर्पित कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग प्रोपराइटर मैसर्स सत्यनारायण अर्पित कुमार अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 10 ममता सर्किल के पास आनन्द चौक देवली जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री हरीश गुप्ता पुत्र कैलाश चन्द्र आठोलिया पार्टनर मैसर्स घासी लाल एण्ड सन्स सी– 56 लाल कोठी बापू नगर जयपुर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।'

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner